## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

---

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सौखला, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 44/2004 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मृतक ओमकार पुत्र मोती जाति अहीर निवासी ग्राम गूंता तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थसान वारिसान

1/1. रामजीलाल पुत्र ओमकार

1/2. जगराम पुत्र ओमकार

1/3. इन्द्रजीत पुत्र हरधन्द पौत्र ओमकार

जाति अहीरान निवासीयान ग्राम गूंता तहसील बानसूर वारिसान काबिजान जायदाद मृतक ओमकार पुत्र मोती

:---- वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 मृतक प्रतिवादी सावंतराम जरिये वारिसान

1/1. मु0 इमरती धर्म पत्नी सावंता

1/2 सुलतान पुत्र सावंता

1/3 सूण्डाराम पुत्र सावंता

1/4 जगदीश पुत्र सावंता

5. मृतक दुलीचन्द पुत्र सावंता जरिये वारिसान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5/1 रेशमा पत्नी दुलीचन्द

5/2 जयलाल पुत्र दुलीचन्द पौत्र सावंता

5/3 सतवीर पुत्र दुलीचन्द पौत्र सावंता

5/4 संतोष पुत्री दुलीचन्द पौत्र सावंता

वरिसान काबिजान जायदाद मृतक दुलीचन्द पुत्र सावंता निवासी गूंता तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2. दाना पुत्र किशना उर्फ कुशाला

3. श्योदान पुत्र किशना उर्फ कुशाला

जाति अहीरान निवासीयान ग्राम गूंता तह0 बानसूर जिला अलवर

:--असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

4. हजारी पुत्र गिरधारी जाति अहीर निवासी ग्राम गूंता तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:--- तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,बानसूर

दिनांक 28.2.2004

---

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री उमेश कौशिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 12.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा प्रकरण संख्या 245/01 (96/92) अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.2.04 के खिलाफ है,जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1935 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गूंता तहसील बानसूर वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा आराजी खसरा नम्बर 1936 प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है । वादीगण ने विवादित आराजी में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को सम्वत 2046 में बटाई पर दी थी तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण ने वादीगण को देना स्वीकार किया था । परन्तु उन्होंने सम्वत 2047 में 1/3 हिस्सा बटाई का देना बंद कर दिया और आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तथा मकानात बना लिये । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील वादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी हमारी खातेदारी की आराजी है । जिसमें से 2 बीघा भूमि हमने उपज का 1/3 हिस्सा लेने की शर्त पर प्रतिवादीगण को बटाई पर दी थी । परन्तु उन्होंने बटाई का हिस्सा देने से मना कर दिया और सम्वत 2047 में हमारी खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और मकान बना लिये । इसलिये हमने दखलयाबी का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे तहत अदालत ने गलत तौर पर खारिज कर दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि तहत अदालत ने मौका रिपोर्ट पर एग्जिविट नहीं डले होने के कारण उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया। जबकि एग्जिविट नम्बर डलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत किया था, परन्तु उस प्रार्थना पत्र का कोई निर्णय नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 01 सावंता एवं प्रतिवादी संख्या 05 दुलीचन्द दौराने विचारण वाद फौत हो गये थे । उनके

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु उसका भी कोई निर्णय नहीं किया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी पर हमने कोई कब्जा नहीं किया है । बल्कि वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1935 का पुराना नम्बर 309 मिन रकबा 4 बिस्वा, 314 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 453 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा 482 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा थे। उक्त विवादित साबिक खसरा नम्बरान का बिस्वेदार हमारे पूर्वज फूसला वगैरा थे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन भी हमारे पूर्वज काबिज थे। हमको कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिल चुके थे । परन्तु बंदोबस्त हाल में उक्त सालिम आराजी वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई थीं । इन्होंने मौका रिपोर्ट को एग्जिविट नहीं कराया है । वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है । इसलिये सही तौर पर वाद खारिज किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। साथ ही धारा 183 आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन किया । प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज मौका रिपोर्ट है,जिस पर एग्जिविट नम्बर नहीं डले होने के कारण तहत न्यायालय ने उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया । जब कि वादी अपीलांट ने उस पर एग्जिविट नम्बर डलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत किया, जिसका तहत न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया है ।इसके अतिरिक्त दौराने विचारण वाद प्रतिवादी नम्बर 01 सावंता एवं प्रतिवादी नम्बर 05 दुलीचन्द का देहान्त हो चुका था । उनके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उसका कोई निर्णय पारित नहीं किया और आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । इतना ही नहीं, जब हमने दावे एवं जवाब दावे का अवलोकन किया तो पाया कि दावे एवं जवाब दावे के आधार पर सम्पूर्ण रूप से तनकियात कायम नहीं की गई है । उदाहरण के तौर पर प्रतिवादी ने जवाब दिया था कि विवादित आराजी उनके बुजुर्गान फूसला वगैरा की बिस्वेदारी की थीं, जिसे बंदोबस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विभाग ने गलत तौर पर वादीगण के नाम दर्ज कर दी । इस सम्बन्ध में तनकी बनाई जानी चाहिये थी कि क्या बंदोबस्त से पूर्व विवादित भूमि प्रतिवादीगण की थी । इस बात की भी जांच की जानी चाहिये थी कि क्या प्रतिवादीगण ने कभी दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया था । प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया है कि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने मकानात बना लिये हैं। अतः इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये थी कि प्रतिवादीगण ने मकान किस हैसियत से और किस आधार पर विवादित भूमि में बनाये हैं ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तत्कालीन उपखंड अधिकारी, बानसूर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विभिन्न प्रकार की विधिक त्रुटियां की है । जैसे, प्रकरण का निस्तारण करने में मौका रिपोर्ट एक अहम दस्तावेज था, जिस पर एग्जिविट नम्बर नहीं डले होने का बहाना बना कर उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया। जबकि वादी ने उस पर एग्जिविट नम्बर डलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, फिर उस प्रार्थना पत्र का निर्णय क्यों नहीं किया । इतनी जल्दबाजी क्यो । इसके अतिरिक्त मृतक प्रतिवादी नम्बर 01 एवं 05 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था । यहां भी तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने जल्दबाजी दिखाई है । इस प्रार्थना पत्र का भी कोई निर्णय पारित नहीं किया और आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। इतना ही नहीं, उपखंड अधिकारी ने धारा 183 आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों को भी विवेचित नहीं किया है कि वादी का वाद धारा 183 की परिधि में आता है अथवा नहीं । इन सभी तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली का गहना से अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में हम यह पाते हैं कि तत्कालीन उपखंड अधिकारी, बानसूर ने पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही जल्दबाजी दिखाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । उपखंड अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जिनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि पत्रावली का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही विधिक त्रुटि कारित करते हुये आनन फानन में निर्णय पारित कर दे । जल्दबाजी दिखाना संदेह की परिधि में आता है ।

राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्त नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2004 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो वाद पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0 पी0 सी0 तथा मृतक प्रतिवादी नम्बर 01 एवं 05 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना का निस्तारण कर दावे एवं जवाब दावे के आधार पर पूर्ण रूप से तनकियात विरचित करें। तत्प श्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर धारा 183 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 12.04.21 को उपस्थित हों।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की एक प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर को सूचनार्थ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर